भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2612

जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2021/30 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

सभी पात्र किसानों और मत्स्यपालकों को केसीसी

2612. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि सभी पात्र किसानों तथा मत्स्यपालकों आदि को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए पात्रता मानदंड क्या है;

(ग) क्या सरकार बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी इस सुविधा से जोड़ेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने बैंकों को किसी भी अथवा सभी पात्र आवेदकों को तुरंत केसीसी उपलब्ध करवाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक ने 04 जुलाई 2018 को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर मास्टर परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के अनुसार, केसीसी योजना का उद्देश्य लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल खिड़की के अंतर्गत किसानों (व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक किसान हैं), काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार, स्वयं सहायता समूह अथवा काश्तकार किसान तथा बटाईदार किसानों इत्यादि सहित किसानों के संयुक्त देयता समूहों को बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने "किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना: पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी" पर 04 फरवरी 2019 के अपने परिपत्र के माध्यम से पशुपालक किसानों और मत्स्य पालकों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए उन तक केसीसी सुविधा का विस्तार किया है जिसमें व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता के रूप में दुग्धउत्पादक किसान, काश्तकार किसान जिनके पास स्वयं का/किराए का/पट्टे पर शेड उपलब्द्ध हो सहित संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

मत्स्यपालक महिलाओं/पुरुषों के लिए केसीसी पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

1. अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि:

मत्स्य पालन, मत्स्यपालक किसान (व्यक्तिगत और समूह/साझेदार/काश्तकार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह।

लाभार्थियों के पास मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों जैसे तालाब, टैंक, खुले जल निकायों, रेसवे, हैचरी, पालन इकाई या तो स्वयं की अथवा पट्टे पर होनी चाहिए तथा उनके पास मत्स्य पालन और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियो और कोई अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस होना चाहिए।

2. समुद्री मत्स्य पालन:

उपर्युक्त बिंदु संख्या 1 में सूचीबद्ध लाभार्थी जिनके पास स्वयं का अथवा पट्टे पर पंजीकृत मत्स्यपालन के लिए जहाज/नाव हो तथा उनके पास नदमुख और खुले समुद्र में मत्स्यपालन और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक मत्स्यपालन का लाइसेंस/ अनुमति हो।

(ड.): आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित चल रहे केसीसी परिपूर्णता अभियान के अंतर्गत 2.70 करोड़ से अधिक किसानों (पशु पालक और डेयरी और मत्स्य पालक किसानों सहित) को केसीसी योजना के तहत 2.88 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के अंतर्गत लाया गया है।

पशु पालक और मत्स्य पालक किसानों को केसीसी के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए पशु पालक, डेयरी और मत्स्य पालक किसानों के लिए अलग केसीसी जारी करने के लिए 24 सितंबर 2021 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) / दिशानिर्देश जारी किए गए थे। बैंकों के बीच इस एसओपी को परिचालित किया गया है और उन्हें मत्स्य पालकों को केसीसी जारी करते समय प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, केसीसी योजना के तहत मत्स्य पालकों, पशुपालक और डेयरी किसानों की अधिकतम संख्या को शामिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने चल रहे केसीसी परिपूर्णता अभियान के तहत 15 नवंबर 2021 से शुरू होने वाला 3 महीने का एक विशेष साप्ताहिक अभियान अलग से शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए शिविर के दौरान किसानों द्वारा आवेदन जमा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक जांच सूची को भी अंतिम रूप दिया गया है।

***